

फार्म-तेइस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

(उत्तर प्रदेश मूल्य संबंधित कर अधिनियम, 2008 की धारा 21 की उपधारा 17 और उत्तर प्रदेश मूल्य

संबंधित कर नियमावली, 2008 का नियम-42 देखें)

विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सम्परीक्षा आख्या

- क व्यवहारी का नाम
 ख प्रास्थिति
 ग करदाता पहचान संख्या (टिन)
 घ हकदारी प्रमाण पत्र की संख्या, यदि कोई हो
 च उत्तर प्रदेश में व्यापार का मुख्य स्थल
 छ सम्परीक्षा की अवधि
 ज क्या किसी प्रकार की समाधान योजना स्वीकार किया है :
 मैं/हम अवलोकन/टिप्पणी से यह प्रमाणित करते हैं कि :
 (i) मेरी/हमारी राय में व्यवहारी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकें एवं अन्य संबंधित अभिलेख रिटर्न के त्रुटि रहित होने के सत्यापन के लिये पर्याप्त हैं।
 (ii) सत्यापनीय अवधि में की गई समस्त खरीद एवं बिक्री से संबंधित विवरण, दाखिल रिटर्न में घोषित विक्रय आवर्त एवं क्य आवर्त में समिलित हैं।
 (iii) यह भी सत्यापित किया जाता है कि फार्म XXVI / XXVI-A / XXVI-B में प्रदत्त सूचनायें व्यवहारी द्वारा रखे लेखा पुस्तकों एवं अन्य अभिलेख से प्रमाणित हैं।
- झ सम्परीक्षा अवधि के दौरान आई0टी0सी0/आर0आई0टी0सी0 की गणना/समायोजन का विवरण,

क्रमांक	विवरण	रिटर्न के अनुसार	लेखा पुस्तकों के अनुसार	टिप्पणी
1	खरीद पर देय आई0टी0सी0 का प्रारम्भिक अवशेष			
2	दिनांक 01.01.2008 को प्रारम्भिक रहतिया से संबंधित आई0टी0सी0 का प्रारम्भिक अवशेष			
3	गत वर्षों में क्य की गई पूँजीगत वस्तुओं पर उपलब्ध आई0टी0सी0 का प्रारम्भिक रहतिया			
4	प्रारम्भिक रहतिया एवं सम्परीक्षा अवधि के दौरान खरीद पर उपलब्ध आई0टी0सी0			
5	संगत कर निर्धारण वर्ष हेतु उपलब्ध आई0टी0सी0 (1+2+3+4)			
6	उ0प्र0 वैट एकट, 2008 के अन्तर्गत देय कर			
7	केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम के अन्तर्गत देय कर			
8	कुल देय कर (6+7)			
9	उ0प्र0 वैट एकट, 2008 के अन्तर्गत समायोजित आई0टी0सी0			
10	केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत समायोजित आई0टी0सी0			
11	कुल समायोजित आई0टी0सी0 (9+10)			
12	उ0प्र0 वैट एकट, 2008 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर (6-9)			
13	चालान से जमा वैट			
14	अवशेष देय वैट (12-13)			
15	केन्द्रीय ब्रिकी कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शुद्ध देय कर (7-10)			
16	चालान से जमा केन्द्रीय ब्रिकी कर			
17	अवशेष देय केन्द्रीय ब्रिकी कर (15-16)			
18	उ0प्र0 वैट अथवा केन्द्रीय ब्रिकी कर के अन्तर्गत देय के विरुद्ध समायोजित आई0टी0सी0			
19	उ0प्र0 वैट एकट, 2008 के अन्तर्गत घोषित आर0आई0टी0सी0			
20	आर0आई0टी0सी0 जमा/समायोजित			
21	वर्ष के दौरान वापस की गई आई0टी0सी0			
22	अग्रेनित आई0टी0सी0 (5-11-18-19-21+20)			
23	पूँजीगत माल पर देय आई0टी0सी0 जो आगे अग्रेनित की गई, का वर्षवार विवरण			
	स्थान			हस्ताक्षर
	दिनांक			प्राधिकृत व्यक्ति का नाम एवं प्रास्थिति
				प्राधिकार सदस्यता संख्या

संलग्नक :-

- (1) फार्म संख्या XXVI/XXVI-A/XXVI-B
 (2) आयकर आडिट रिपोर्ट ट्रेडिंग एकाउण्ट, प्राफिट एवं लास एकाउण्ट तथा
 वैलेंस शीट के साथ